न्यायालय संभागीय आयुक्त, भरतपुर

अपील संख्याः–496/17 ((RCMS No. 2017/00531) 18 आयुध अधिनियम 1959)

मिट्ठूराम पुत्र छीतर राम जाति जाटव निवासी ग्राम कमालपुरा पुलिस थाना सेवर तहसील व जिला भरतपुर

.....अपीलान्ट

बनाम

जिला कलक्टर भरतपुर जरिये सहायक अभियोजक

.....रैस्पोडैन्ट

अपील विरूद्ध निर्णय कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट भरतपुर दिनांक 25.10.2017

उपस्थितिः–

1. श्री राजेश पोहिया वकील अपीलान्ट
2. सहायक अभियोजक भरतपुर

नि र्ण य **दिनांकः 20.04.2018**

यह अपील आयुध अधिनियम 1959 की धारा 18 के अन्तर्गत कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट भरतपुर के निर्णय दिनांक 25.10.2017 के विरूद्ध प्रस्तुत की गयी है। संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से हैं कि अपीलान्ट ने अपने अनुज्ञापत्र संख्या 31/1997 को आगामी अवधि के नवीनीकरण हेतु जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट भरतपुर के समक्ष प्रार्थना पत्र पेश किया। जिस पर पुलिस अधीक्षक की रिपोर्ट ली गई। जिला पुलिस अधीक्षक भरतपुर ने अपने पत्रांक 920 दिनांक 13.04.16 से अवगत कराया कि अपीलान्ट के विरूद्ध अ.सं. 293/11 धारा 283 भा.द.सं. दर्ज होना व न्यायालय में विचाराधीन होना एवं अ.सं. 319/96 धारा 323, 341, 452 भा.द.सं. में दर्ज होकर राजीनामा के आधार पर न्यायालय द्वारा दिनांक 09.05.2001 को बरी किया जाना एवं अ.सं. 132/76 धारा 323, 325 भा.द.सं. में दर्ज होने पर न्यायालय द्वारा दिनांक 30.11.87 को बरूये राजीनामा बरी किये जाने पर नवीनीकरण किया जाना उचित नही बताया। जिला पुलिस अधीक्षक ने पत्रांक 1212 दिनांक 28.05.16 से रिपार्ट पेश कर अपीलान्ट के विरूद्ध अ.सं. 293/11 धारा 283 भा.द.सं. में दर्ज होना तथा न्यायालय द्वारा दिनांक 02.03.13 को दोष सिद्ध करार दिया जाकर एक वर्ष की अवधि के लिये 5–5 हजार रूपये जमानत मुचलका तस्दीक कराकर शांति बनाये रखने हेतु पाबन्द किया गया एवं 100

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

रूपये आर्थिक दण्ड न्यायालय में जमा कराने के आदेश पारित किये गये थे। अ.सं. 319/94 धारा 323, 341, 452 भा.द.सं. में दर्ज होना जिसमें न्यायालय द्वारा दिनांक 09.05.2001 को बरूये राजीनामा बरी किया जाना अ.सं. 132/76 धारा 323, 325 भा.द.सं. में दर्ज होने पर न्यायालय द्वारा दिनांक 30.11.87 को बरूये राजीनामा बरी किये जाने पर जिला पुलिस अधीक्षक भरतपुर ने अपनी उक्त रिपोर्ट में अनुज्ञापत्र को नवीनीकरण नही किये जाना अंकित किया। अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त रिपोर्ट के आधार पर अपीलान्ट को शस्त्र अधिनियम 1959 की धारा 17(3)(ख) के प्रावधानों के अन्तर्गत तुरन्त प्रभाव से निरस्त किया जाकर पुलिस थाना सेवर में शस्त्र अनुज्ञापत्र पर दर्ज शस्त्र को तत्काल जमा कराने के आदेश दिये गये। इस आदेश के विरूद्ध यह अपील पेश की गई है।

विद्वान वकील अपीलान्ट का तर्क है कि अपीलान्ट ने कारण बताओ नोटिस का उचित जबाब दे दिया था। उसके बाबजूद जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट भरतपुर ने अपीलान्ट के जबाब को कन्सीडर नही कर अपीलाधीन आदेश पारित किया है। अपीलान्ट का लाईसेन्स संख्या 31/1997 दिनांक 31.12.2015 तक नवीनीकृत था। जिला पुलिस अधीक्षक की रिपोर्ट मात्र के आधार पर अपीलान्ट के लाईसेन्स को नवीनीकरण नही किया जाना सरासर विधि विरूद्ध व न्याय के प्राकृतिक सिद्धान्तों के विरूद्ध आदेश है। प्रकरण संख्या 293/11 न्यायालय में दर्ज होना बताया है जबकि उक्त प्रकरण का निस्तारण दिनांक 02.03.2011 को अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट सं0 4 द्वारा किया जाकर प्रार्थी को परिवीक्षा का लाभ देकर बरी किया जा चुका है जिसकी प्रति अपील के साथ संलग्न की है। इसके अलावा अ.सं. 319/96 व अ. सं. 132/76 में सक्षम न्यायालय द्वारा बरी किया जा चुका है। जिसकी प्रति भी पेश की है। अपीलान्ट ने आयुध अधिनियम के किसी भी प्रावधान का उलघंन नही किया है। जिला कलक्टर एवं जिला पुलिस अधीक्षक की रिपोर्ट से यह साबित नही है कि अपीलान्ट किस प्रकार से अयोग्य है। इसलिये अपीलान्ट का अनुज्ञापत्र का नवीनीकरण नही किया जा सकता। अपीलान्ट का शस्त्र अनुज्ञापत्र 2015 तक नवीनीकरण किया जाता रहा है। उसी के अनुसार इस बार भी शस्त्र अनुज्ञापत्र को पुनः प्रार्थी की सुरक्षा की दृष्टि से नवीनीकृत किया जाना चाहिये था। अधीनस्थ न्यायालय ने अपना लीगल माइण्ड एप्लाई किये बिना जिला पुलिस अधीक्षक की रिपोर्ट मात्र पर निर्णय पारित किया है, जो विधि सममत् नही है। अधीनस्थ न्यायालय का आदेश स्पीकिंग आदेश की परिभाषा में नही आता है। अतः अपील स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय निरस्त किया जाकर अपीलान्ट का शस्त्र अनुज्ञापत्र को पुनः बहाल किया जावे।

विद्वान लोक अभियोजक का तर्क है कि जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट भरतपुर ने अपीलान्ट के प्रार्थना पत्र नवीनीकरण पर पुलिस अधीक्षक से रिपोर्ट प्राप्त की है जिसमें अपीलान्ट के विरूद्ध कई मुकदमे दर्ज होना व राजीनामा के आधार पर बरी होना व एक प्रकरण में दोष सिद्ध करार किया जाकर एक वर्ष की अवधि के लिये 5–5 हजार रूपये जमानत मुचलका पर पाबन्द किया गया तथा 100 रूपये आर्थिक दण्ड न्यायालय में जमा कराने के आदेश दिये थे। इससे सिद्ध है कि अपीलान्ट आपराधिक प्रवृति का व्यक्ति है। जिला पुलिस अधीक्षक ने इसीलिये अपीलान्ट के अनुज्ञापत्र को नवीनीकरण नही करने की अनुशंषा की है। अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त रिपोर्ट के

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

आधार पर उचित निर्णय पारित किया है, जिसमें किसी प्रकार की अवैधानिकता नही है। अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय सही है। अतः अपील खारिज की जावे।

हमने उभय पक्ष के विद्वान अभिभाषकों की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली का अवलोकन किया। जिला पुलिस अधीक्षक भरतपुर ने अपीलान्ट के विरूद्ध अ.सं. 293/11 धारा 283 भा.द.सं. दर्ज होना व न्यायालय में विचाराधीन होना एवं अ.सं. 319/96 धारा 323, 341, 452 भा.द.सं. में दर्ज हुआ था जिसमें न्यायालय में राजीनामा होने पर न्यायालय द्वारा दिनांक 09.05.2001 को बरी किया गया था। अपराध सं0 132/76 धारा 323, 325 भा.द.सं. में दर्ज होने पर न्यायालय द्वारा दिनांक 30.11.87 को राजीनामा के आधार पर बरी किया गया था। जिला पुलिस अधीक्षक ने यह भी अवगत कराया है कि अपीलान्ट के विरूद्ध अपराध संख्या 293/11 अन्तर्गत धारा 283 भा.द.सं. में दर्ज हुआ था जिसमें न्यायालय द्वारा दिनांक 02.03.13 को दोष सिद्ध करार दिया जाकर एक वर्ष की अवधि के लिये 5–5 हजार रूपये जमानत मुचलका तस्दीक कराकर शांति बनाये रखने हेतु पाबन्द किया गया तथा 100/– रूपये आर्थिक दण्ड के न्यायालय में जमा कराने के आदेश दिये थे। अपराध संख्या 319/94 धारा 323, 341, 452 भा.द.सं. में दर्ज होना जिसमें न्यायालय द्वारा दिनांक 09.05.2001 को बरूये राजीनामा बरी किया जाना तथा अपराध सं0 132/76 धारा 323, 325 भा.द.सं. में दर्ज होने पर न्यायालय द्वारा दिनांक 30.11.87 को राजीनामा के आधार पर बरी किया गया था। अपीलान्ट आपराधिक प्रकृति का होने से जिला पुलिस अधीक्षक भरतपुर ने अपनी अपीलान्ट के अनुज्ञापत्र को नवीनीकरण नही किये जाने की अभिशंषा की है। अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त रिपोर्ट के आधार पर अपीलान्ट को शस्त्र अधिनियम 1959 की धारा 17(3)(ख) के प्रावधानों के अन्तर्गत तुरन्त प्रभाव से निरस्त किया है जिसमें किसी प्रकार की अवैधानिकता नही है। अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय विधिसम्मत् है। अपीलान्ट की अपील खारिज किये जाने योग्य है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट खारिज की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 25.10.2017 यथावत रखा जाता है।

निर्णय आज दिनांक 20.04.2018 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(सुबीर कुमार)
संभागीय आयुक्त
भरतपुर

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official